

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री प्रकाश चन्द पवन  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:  
233 / अपील / 2016

तारीख दायरा  
07.12.2016

तारीख निर्णय  
31.03.2016

गिराज आ0 बजरंगा जाति मीणा निवासी ग्राम शिवदानपुरा तहसील नैनवां  
जिला बून्दी (राजस्थान) - अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार करवर जिला बून्दी (राजस्थान)  
- रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 10.10.2016  
नायब तहसीलदार, करवर  
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम  
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित-

अपीलांट की ओर से - श्री कन्हैया लाल मीणा, अभिभाषक।  
रेस्पोजेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार करवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 255/122 रकबा 02 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम शिवदानपुरा तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 100/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय साइक्लोस्टाइल प्रपत्र में है। जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है फिर भी कब्जा छोड़ने का शपथ पत्र दे दिया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलान्ट ने पैनाल्टी की राशि भी जमा

करा दी गई है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के बयान भी लिये हैं। अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है। कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज भूमि पर से कब्जा छोड़ने बाबत् पत्रावली में नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। नोटिस अपीलान्त स्वयं पर तामील करवाया गया है तथा अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित हुआ है। अतः अपीलान्त का यह कथन है कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय साइक्लोस्टाइल प्रपत्र में पारित किया गया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति का आदेश उचित प्रतीत होता है, किन्तु जहां तक अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का प्रश्न है, सिविल सजा का आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व निर्णय की पालना में अपीलान्त को मौके से बेदखल किये जाने बाबत् घटना बही की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को भूमि से बेदखल कर भूमि कब्जे राज लिये जाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचार बाबत् कोई स्वतंत्र साक्ष्य ली गई है। जिससे अपीलान्त का द्वितीय अतिचार प्रमाणित होता हो। पश्चातवर्ती अतिक्रमण प्रमाणित हुये बिना सिविल सजा जैसा कठोर आदेश किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
बून्दी (राज0)